भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 430

उत्तर देने की तारीख : 04.02.2025

कौशल विकास कार्यक्रम

430. श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा:
श्री प्रदीप कुमार सिंह :
श्री तापिर गाव :
श्री खगेन मुर्मु :
श्री दिनेशभाई मकवाणा :

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सीआरसी मदुरै में संचालित किए जा रहे कौशल विकास कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है और किस प्रकार ये कार्यक्रम दिव्यांग व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसरों के साथ संरेखित हैं;

(ख) क्या प्रशिक्षित दिव्यांग व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए उद्योगों या संगठनों के साथ सहयोग करने की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल. वर्मा)

(क): समेकित क्षेत्रीय केंद्र (सीआरसी), मदुरै निम्नलिखित कौशल विकास कार्यक्रम संचालित कर रहा है:-

(i) पौधों की देखभाल करने वाला सहायक (माली) – दिव्यांगजन।

(ii) दिव्यांगजनों के लिए रोजगार कौशल।

ये कार्यक्रम दिव्यांग व्यक्तियों को अपेक्षित कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार प्राप्त करने में सक्षम बनाते हैं।

(ख) और (ग): राष्ट्रीय संस्थान और संयुक्त क्षेत्रीय केन्द्र (सीआरसी) कुशल दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने के लिए उद्योगों और संगठनों के साथ सहयोग करने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। इसके अतिरिक्त, विभाग ने पीएम-दक्ष पोर्टल बनाया है, जहां दिव्यांगजन रोजगार पाने के लिए पंजीकरण कर सकते हैं, जबकि उद्योग भागीदार रोजगार के अवसरों को सूचीबद्ध कर सकते हैं।

*****